रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-27052024-254374
CG-MH-E-27052024-254374

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371] नई दिल्ली, सोमवार, मई 27, 2024/ज्येष्ठ 6, 1946
No. 371] NEW DELHI, MONDAY, MAY 27, 2024/JYAISHTHA 6, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 27 मई, 2024

(भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड)

(अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/182.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 तथा धारा 12 के साथ पठित धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में,

(1) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,-

(क) खंड (यछ) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

"***स्पष्टीकरण.*** **–** मौजूदा यूनिटों की संख्या की गणना करने के उद्देश्य से, किन्हीं मौजूदा सबऑर्डिनेट यूनिटों को शामिल नहीं किया जाएगा;";

(ख) खंड (ययक) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

"(ययकक) "सबऑर्डिनेट यूनिट" का अर्थ है – अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) द्वारा जारी किया गया वह लिखत (इन्स्ट्रूमेंट), जिसे एक सामान्य यूनिट के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया जा सकता हो;";

(ग) खंड (ययघ) में, चिह्नों तथा शब्दों " "यूनिट" से अवसंरचना निवेश न्यास का फायदाप्रद हित (बेनिफिशियल इंटरेस्ट) अभिप्रेत है" के स्थान पर चिह्न तथा शब्द " "यूनिट" या "सामान्य यूनिट" का अर्थ है - अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) का बेनिफिशियल इंटरेस्ट (फायदाप्रद हित)" आ जाएँगे;

(2) विनियम 4 में, उप-विनियम (2) में,

(क) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्-

"(ज) केवल एक वर्ग की ही यूनिटें होंगी, और इस प्रकार हर यूनिट का दर्जा बराबर का होगा, फिर चाहे मताधिकारों की बात हो या फिर कोई और रकम आदि बाँटे जाने की बात हो, बशर्ते कि इन विनियमों के अध्याय-IVक के प्रावधानों का पालन किया जाए।";

(ख) खंड (ज) के बाद, खंड (झ) जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

"(झ) जिस यूनिटधारक (जिन यूनिटधारकों) के पास अवसंरचना निवेश न्यास की कुल मौजूदा यूनिटों में से कम से कम दस प्रतिशत यूनिटें हों (फिर चाहे वे यूनिटें उनकी अकेले की हों या दूसरों की यूनिटें मिलाकर हों), उसे (उन्हें) –

(i) निवेश प्रबंधक के निदेशक मंडल में एक निदेशक को उसी प्रकार नामित करने का हक होगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए:

परंतु यह कि इस प्रकार नामित किया गया निदेशक ऐसे किसी भी मामले के संबंध में होने वाले मतदान में हिस्सा नहीं लेगा, जिसमें वह या उसका सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) या उस निदेशक को नामित करने वाला यूनिटधारक या उस यूनिटधारक का सहयोगी एक पक्ष (पार्टी) हो;

(ii) इन विनियमों की अनुसूची-VIII में बड़े यूनिटधारकों हेतु निर्धारित किए गए सिद्धाँतों (स्टूअर्डशिप कोड) का पालन करना होगा।";

(3) विनियम 12 में, उप-विनियम (3क) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएँगे, अर्थात्–

"(4) ऊपर उप-विनियम (3) एवं (3क) के अनुसार कम से कम कितनी यूनिटें होनी चाहिए इसकी गणना करते समय, अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) की कुल मौजूदा यूनिटों में सबऑर्डिनेट यूनिटों को नहीं गिना जाएगा।

(5) ऊपर उप-विनियम (3) एवं (3क) के अनुसार न्यूनतम यूनिटों की गणना करते समय सबऑर्डिनेट यूनिटों को नहीं गिना जाएगा ।";

(4) विनियम 14 में, उप-विनियम (5क) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

"(5ख) यदि कोई सबऑर्डिनेट यूनिटें जारी की हुई हों और जो अब भी मौजूद हों, तो ऐसे में कोई भी अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) पब्लिक इश्यू (सार्वजनिक निर्गम) के जरिए पैसा नहीं जुटाएगा ।";

(5) अध्याय-IV के बाद और अध्याय-V से पहले, निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

"अध्याय-IVक

सबऑर्डिनेट यूनिटें जारी करने हेतु ढाँचा

लागू होना

17क. (1) इस अध्याय के प्रावधान केवल इस अध्याय के अधिसूचित होने के बाद जारी की जाने वाली सबऑर्डिनेट यूनिटों के मामले में ही लागू होंगे:

परंतु यह कि इस अध्याय में जानकारी (डिस्क्लोज़र) प्रस्तुत किए जाने के संबंध में जो प्रावधान दिए हुए हैं, वे इस अध्याय के अधिसूचित होने की तारीख से पहले जारी की गई सबऑर्डिनेट यूनिटों के मामले में भी लागू होंगे ।

(2) सामान्य यूनिटों के मामले में लागू इन विनियमों के प्रावधान, सबऑर्डिनेट यूनिटें जारी किए जाने के मामले में भी (जरूरी बदलावों के साथ) लागू होंगे, हालाँकि इस अध्याय के प्रावधानों का तो पालन करना ही होगा ।

सबऑर्डिनेट यूनिटें जारी करना

17ख. (1) सबऑर्डिनेट यूनिटें केवल वही अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिलने के बाद जारी करेगा, जिसकी यूनिटें प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जारी की गई हों ।

(2) सबऑर्डिनेट यूनिटें केवल प्रायोजक (स्पॉन्सर), उसके सहयोगियों (सहयुक्त / असोसिएट) और प्रायोजक समूह को ही जारी की जाएँगी और सबऑर्डिनेट यूनिटों के बारे में यह माना जाएगा कि वे यूनिटें उस प्रायोजक, उसके सहयोगियों (असोसिएट) और प्रायोजक समूह से इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिलने की एवज में दी गई हैं ।

(3) सबऑर्डिनेट यूनिटों के तहत न तो कोई मताधिकार मिलेगा और न ही कोई और रकम आदि बाँटी जाएगी ।

(4) सबऑर्डिनेट यूनिटें डीमैट रूप में जारी की जाएँगी और उनका एक आई.एस.आई.एन. नंबर होगा, जो सामान्य यूनिटों के आई.एस.आई.एन. नंबर से भिन्न होगा ।

(5) इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सबऑर्डिनेट यूनिटों को सामान्य यूनिटों के तौर पर फिर से वर्गीकृत किए जाने के बाद मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराया जाएगा।

(6) सबऑर्डिनेट यूनिटें आरंभिक प्रस्ताव (इनिशियल ऑफर) लाकर या फिर आरंभिक प्रस्ताव लाए जाने के बाद कोई प्रस्ताव लाकर जारी की जा सकेंगी, फिर चाहे ऐसा सामान्य यूनिटें जारी करते समय किया जाए या फिर सामान्य यूनिटें जारी किए बिना किया जाए ।

(7) अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) द्वारा आरंभिक प्रस्ताव लाने के बाद सबऑर्डिनेट यूनिटें जारी किए जाने के संबंध में यूनिटधारकों की मंजूरी लेनी जरूरी होगी, हालाँकि

इस संबंध में संकल्प (रेज़ोल्यूशन) के खिलाफ डाले गए मतों की तुलना में संकल्प के पक्ष में कम से कम डेढ़ गुना मत डाले जाएँ:

परंतु यह कि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिलने की पूरी प्रक्रिया में यदि किसी यूनिटधारक [जिसमें प्रायोजक, उसके सहयोगी (असोसिएट) और प्रायोजक समूह शामिल हैं] का किसी भी तरह से कोई संबंध हो (वह पार्टी हो), तो ऐसे में उसे मत डालने का हक नहीं होगा।

(8) सबऑर्डिनेट यूनिटों की कीमत कीमत-निर्धारण से संबंधित उन्हीं दिशानिर्देशों के अनुसार तय की जाएगी, जो सामान्य यूनिटें जारी किए जाने के संबंध में लागू हैं।

(9) सबऑर्डिनेट यूनिटें जारी करने से पहले, निवेश प्रबंधक उन्हें सामान्य यूनिटों के तौर पर फिर से वर्गीकृत करने के बाद, सूचीबद्ध (लिस्ट) कराने के संबंध में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से सैद्धांतिक मंजूरी लेगा।

(10) न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) में ऐसे प्रावधान किए जाएँगे, जिनके तहत सबऑर्डिनेट यूनिटें जारी की जा सकें।

(11) निवेश प्रबंधक सबऑर्डिनेट यूनिटों से संबंधित शर्तों आदि का उल्लेख टर्म शीट (निबंधन-पत्रक) में करेगा।

(12) निवेश प्रबंधक टर्म शीट में यह भी बताएगा कि सबऑर्डिनेट यूनिटों को सामान्य यूनिटों के तौर पर फिर से वर्गीकृत करने पर क्या असर पड़ सकता है, और यह जानकारी उसी प्रकार दी जाएगी जैसा बोर्ड बताए।

(13) निवेश प्रबंधक प्लेसमेंट मैमोरैन्डम में, यूनिटधारकों की बैठक के संबंध में जारी की जाने वाली सूचना (नोटिस) में दिए जाने वाले व्याख्यात्मक विवरण (एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट) में और साथ ही साथ निवेशकों (जिनमें भावी निवेशक भी शामिल हैं) को दिए जाने वाले किसी दस्तावेज में टर्म शीट को शामिल करेगा।

(14) अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) टर्म शीट, प्लेसमेंट मैमोरैन्डम और यूनिटधारकों की बैठक के संबंध में जारी की जाने वाली सूचना (नोटिस) [व्याख्यात्मक विवरण सहित] अपने वेबसाइट पर डलवाएगा और उन्हें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ भी प्रस्तुत करेगा।

(15) अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) को जब इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिले उस समय जो सबऑर्डिनेट यूनिटें जारी की जाएँगी उनकी रकम उस कीमत के दस प्रतिशत से ज्यादा की नहीं होगी जिस कीमत पर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिला हो।

(16) अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) द्वारा जारी की गई मौजूदा सबऑर्डिनेट यूनिटों की कुल संख्या किसी भी समय उस इनविट द्वारा जारी की गई मौजूदा सामान्य यूनिटों की कुल संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह कि जिस अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) की मौजूदा सबऑर्डिनेट यूनिटों की संख्या, इस अध्याय के अधिसूचित होने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार, उपरोक्त सीमा से ज्यादा हो, वह इनविट और सबऑर्डिनेट यूनिटें उपरोक्त सीमा का पालन करते हुए जारी कर सकेगा:

परंतु यह और कि उपरोक्त सीमा का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसके लिए सभी मौजूदा सबऑर्डिनेट यूनिटों (जिनमें वे सबऑर्डिनेट यूनिटें भी शामिल हैं जो इस अध्याय के अधिसूचित होने की तारीख से पहले जारी की गई हों) को हिसाब में लिया जाएगा।

(17) सबऑर्डिनेट यूनिटें जारी किए जाने के बाद उनकी शर्तों आदि में फेरबदल नहीं किया जाएगा, हालाँकि इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार ऐसा किया जा सकेगा ।

सबऑर्डिनेट यूनिटें किसी और के नाम पर दर्ज करना (ट्रांसफर करना)

17ग. (1) सबऑर्डिनेट यूनिटें तब तक लॉक-इन रहेंगी, जब तक उन्हें सामान्य यूनिटों के तौर पर फिर से वर्गीकृत न कर दिया जाए।

(2) सबऑर्डिनेट यूनिटें प्रायोजक, उसके सहयोगियों (असोसिएट) और प्रायोजक समूह की एंटिटियों को छोड़कर किसी और व्यक्ति के नाम पर दर्ज नहीं की जाएँगी ।

(3) सबऑर्डिनेट यूनिटों पर प्रायोजक, उसके सहयोगियों (असोसिएट) और प्रायोजक समूह की एंटिटियों को छोड़कर किसी और व्यक्ति के पक्ष में ऋणभार सृजित नहीं किया जाएगा ।

(4) निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) तब तक किसी व्यक्ति के नाम पर न तो सबऑर्डिनेट यूनिट दर्ज करेगा और न ही उसके पक्ष में ऋणभार को रिकॉर्ड में दर्ज करेगा, जब तक कि वह व्यक्ति अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) का प्रायोजक न हो, उस प्रायोजक का सहयोगी (असोसिएट) न हो या फिर अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) के प्रायोजक समूह से न हो ।

(5) निवेश प्रबंधक सबऑर्डिनेट यूनिटों को आपस में ही किसी और के नाम पर किए जाने या उन पर आपस में ही एक-दूसरे के पक्ष में ऋणभार सृजित किए जाने की जानकारी, ऐसा किए जाने की तारीख से एक कार्य-दिवस के भीतर, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को देगा ।

(6) प्रायोजक में कोई बदलाव होने पर, जाने वाला प्रायोजक अपने पास पड़ी सबऑर्डिनेट यूनिटें (यदि कोई हों) दूसरे प्रायोजक, उसके सहयोगियों (असोसिएट) या फिर प्रायोजक समूह के नाम पर कर देगा ।

सबऑर्डिनेट यूनिटों को सामान्य यूनिटों के तौर पर फिर से किस तारीख से वर्गीकृत किया जा सकेगा, किस स्थिति में फिर से वर्गीकृत किया जा सकेगा और क्या दहलीज (परफॉर्मेंस बेंचमार्क) पार होने पर फिर से वर्गीकृत किया जा सकेगा

17घ. (1) सबऑर्डिनेट यूनिटों को सामान्य यूनिटों के तौर पर फिर से किस तारीख से वर्गीकृत किया जा सकेगा, किस स्थिति में फिर से वर्गीकृत किया जा सकेगा और क्या दहलीज (परफॉर्मेंस बेंचमार्क) पार होने पर फिर से वर्गीकृत किया जा सकेगा, इसका जिक्र टर्म शीट में ही साफ-साफ कर दिया जाएगा ।

(2) सबऑर्डिनेट यूनिटों को जिस दहलीज (परफॉर्मेंस बेंचमार्क) के पार होने पर फिर से वर्गीकृत किया जाएगा, वह इस तरह से स्पष्ट निर्धारित की जानी चाहिए कि उसकी गणना हो सके, और यही नहीं बल्कि उसकी गणना लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर भी हो सके ।

(3) सबऑर्डिनेट यूनिटें जिस तारीख को जारी की गई हों उस तारीख और उन्हें सामान्य यूनिटों के तौर पर फिर से जिस तारीख से वर्गीकृत किया जा सकता है, उस तारीख के बीच कम से कम तीन वर्षों का अंतर होगा ।

(4) जिस तारीख से सबऑर्डिनेट यूनिटों को फिर से वर्गीकृत किया जा सकता है, वह तारीख उसी प्रकार बढ़ाई जा सकेगी, जैसा टर्म शीट में जिक्र किया गया है, बशर्ते कि:

(क) जिस तारीख से सबऑर्डिनेट यूनिटों को फिर से वर्गीकृत किया जा सकता है, वह तारीख एक बार में एक वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा दो बार बढ़ाई जाएगी;

(ख) जिस तारीख से सबऑर्डिनेट यूनिटों को फिर से वर्गीकृत किया जा सकता है, वह तारीख केवल उन्हीं मामलों में बढ़ाई जा सकेगी जहाँ सबऑर्डिनेट यूनिटें जारी किए जाने से पहले टर्म शीट में वह तारीख बढ़ाए जाने के संबंध में साफ तौर पर उल्लेख किया गया हो और इसके संबंध में विधिवत् रूप से मंजूरी ली गई हो;

(ग) जिस तारीख से सबऑर्डिनेट यूनिटों को फिर से वर्गीकृत किया जा सकता है, वह तारीख केवल उन अप्रत्याशित परिस्थितियों में ही बढ़ाए जाने की अनुमति होगी जिनका उल्लेख टर्म शीट में किया गया हो, जैसे कोई अनिवार्य बाध्यता होने की दशा में कार्य करना असंभव हो जाए या फिर कानूनी प्रावधानों में बदलाव होने की वजह से या किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के आदेश की वजह से ऐसा करना जरूरी हो जाए;

(घ) जिस तारीख से सबऑर्डिनेट यूनिटों को फिर से वर्गीकृत किया जा सकता है, वह तारीख बढ़ाने की मंजूरी लेने के लिए यूनिटधारकों की बैठक बुलाए जाने के संबंध में जारी की जाने वाली सूचना (नोटिस) के व्याख्यात्मक विवरण (एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट) में वे कारण बताने होंगे, जिनकी वजह से यह तारीख बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा रहा है, और साथ ही यह भी बताना होगा कि इस प्रकार तारीख बढ़ाने से आम यूनिटधारकों पर क्या असर पड़ सकता है और साथ ही यह भी बताना होगा कि क्या इनविट में उनका बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी भी प्रकार से कम हो सकता है; और

(ङ) जिस तारीख से सबऑर्डिनेट यूनिटों को फिर से वर्गीकृत किया जा सकता है, वह तारीख बढ़ाने के लिए यूनिटधारकों की मंजूरी उसी प्रकार लेनी होगी, जैसा विनियम 17ख के उप-विनियम (7) में बताया गया है ।

दहलीज़ (परफॉर्मेंस बेंचमार्क) के अनुसार स्थिति

17ङ (1) निवेश प्रबंधक निर्धारित की गई दहलीज (परफॉर्मेंस बेंचमार्क) के मुकाबले स्थिति क्या है, उस पर नज़र रखेगा और उसकी रिपोर्ट इनविट के लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) से प्रमाणित करवाकर तथा न्यासी (ट्रस्टी) और निवेश प्रबंधक की लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमेटी) से मंजूरी लेकर वार्षिक आधार पर या तब-तब प्रस्तुत करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए ।

(2) निवेश प्रबंधक निर्धारित की गई दहलीज (परफॉर्मेंस बेंचमार्क) के मुकाबले स्थिति क्या है, उसकी जानकारी इनविट की वार्षिक रिपोर्ट में देगा ।

(3) जब तक सबऑर्डिनेट यूनिटें मौजूद रहें, तब तक निवेश प्रंबधक स्टॉक एक्सचेंज को यह बताएगा कि एक यूनिट का शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) कितना है और एक यूनिट पर कितनी रकम आदि बाँटी जाती है, और साथ ही यह भी बताएगा कि वह एनएवी और बाँटी जाने वाली रकम आदि घटकर कितनी हो सकती है ।

स्पष्टीकरण. - इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ –

(क) घटी हुई एनएवी या घटे हुए शुद्ध आस्ति मूल्य की गणना इस तरह से की जाएगी - इनविट की आस्तियों (असेट्स) के मूल्य में से बाहर से लिए गए ऋण की रकम घटाने के बाद जो रकम बचेगी, उसे मौजूदा सामान्य यूनिटों और सबऑर्डिनेट यूनिटों की कुल संख्या से भाग दिया जाएगा; और

(ख) एक यूनिट पर यदि कोई रकम आदि बाँटी जाती है तो वह रकम घटकर कितनी हो सकती है, इसकी गणना इस तरह से की जाएगी – बाँटी जाने वाली कुल रकम को मौजूदा सामान्य यूनिटों और सबऑर्डिनेट यूनिटों की कुल संख्या से भाग दिया जाएगा ।

सबऑर्डिनेट यूनिटें फिर से वर्गीकृत करने की प्रक्रिया

17च. (1) निर्धारित की गई दहलीज (परफॉर्मेंस बेंचमार्क) के मुकाबले स्थिति क्या है, उसे इनविट के लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) से प्रमाणित करवाया जाएगा (सबऑर्डिनेट यूनिटों को सामान्य यूनिटों के तौर पर फिर से वर्गीकृत किए जाने के संबंध में) और जिसकी समीक्षा न्यासी (ट्रस्टी) और निवेश प्रबंधक की लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमेटी) द्वारा की जाएगी ।

(2) सबऑर्डिनेट यूनिटों को सामान्य यूनिटों के तौर पर जिस तारीख से वर्गीकृत किया जा सकता है (जिसमें बढ़ाई गई तारीख भी शामिल है, यदि कोई हो), यदि उसी दिन की समाप्ति पर, निर्धारित की गई दहलीज (परफॉर्मेंस बेंचमार्क) भी पार हो जाए; तो ऐसे में टर्म शीट में सबऑर्डिनेट यूनिटों से संबंधित शर्तों आदि के अनुसार सबऑर्डिनेट यूनिटों को उतनी ही यूनिटों के तौर पर फिर से वर्गीकृत कर दिया जाएगा जितनी सामान्य यूनिटें हों ।

स्पष्टीकरण 1. - सभी सबऑर्डिनेट यूनिटों को एक साथ या थोड़ा-थोड़ा करके, टर्म शीट में दी हुई शर्तों आदि के अनुसार और निर्धारित की गई दहलीज (परफॉर्मेंस बेंचमार्क) पार होने पर, सामान्य यूनिटों के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया जा सकता है ।

स्पष्टीकरण 2. - सभी सबऑर्डिनेट यूनिटों को या कुछ सबऑर्डिनेट यूनिटों को, टर्म शीट में दी हुई शर्तों आदि के अनुसार और निर्धारित की गई दहलीज (परफॉर्मेंस बेंचमार्क) पार होने पर, सामान्य यूनिटों के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया जा सकता है।

(3) सबऑर्डिनेट यूनिटों को सामान्य यूनिटों के तौर पर जिस तारीख से वर्गीकृत किया जा सकता है (जिसमें बढ़ाई गई तारीख भी शामिल है, यदि कोई हो), यदि उसी दिन की समाप्ति पर, निर्धारित की गई दहलीज (परफॉर्मेंस बेंचमार्क) पार न हो पाए; तो ऐसे में सबऑर्डिनेट यूनिटें जिनके पास हों उन्हें बिना कोई भुगतान किए ही सबऑर्डिनेट यूनिटें समाप्त कर दी जाएँगी ।

(4) निर्धारित की गई दहलीज (परफॉर्मेंस बेंचमार्क) पार हुई है या नहीं, इसके आधार पर ही निवेश प्रबंधक का निदेशक मंडल या तो सबऑर्डिनेट यूनिटों को सामान्य यूनिटों के तौर पर फिर से वर्गीकृत करने पर विचार करेगा या फिर सबऑर्डिनेट यूनिटों को समाप्त करने पर विचार करेगा, और तदनुसार ही सिफारिश करते हुए एक संकल्प (रेज़ोल्यूशन) पारित करेगा और उसकी जानकारी न्यासी (ट्रस्टी) को देगा ।

(5) यथास्थिति, सबऑर्डिनेट यूनिटों को सामान्य यूनिटों के तौर पर फिर से वर्गीकृत किए जाने या फिर सबऑर्डिनेट यूनिटों को समाप्त किए जाने के संबंध में की गई सिफारिश पर न्यासी विचार करेगा, और इन विनियमों के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के बाद न्यासी, यथास्थिति, सबऑर्डिनेट यूनिटों को सामान्य यूनिटों के तौर पर फिर से वर्गीकृत करने या फिर सबऑर्डिनेट यूनिटों को समाप्त करने के संबंध में मंजूरी प्रदान कर सकेगा, और उसकी सूचना वह निवेश प्रबंधक को दे सकेगा।

(6) न्यासी की मंजूरी मिलने के बाद, निवेश प्रबंधक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, निक्षेपागारों (डिपॉजिटरी) तथा रजिस्ट्रार और अंतरण अभिकर्ता (ट्रांसफर एजेंट) को जरूरी सूचना देगा ।

(7) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि इस विनियम के तहत सूचना देते समय रिकॉर्ड तिथि भी बता दी जाए, और जो रिकॉर्ड तिथि के कम से कम दो कार्य-दिवस पहले (जिसमें सूचना देने की तारीख और रिकॉर्ड तिथि शामिल नहीं हैं) बता दी जाए ।

स्पष्टीकरण. – इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, रिकॉर्ड तिथि का अर्थ होगा – वह तारीख, जिस तारीख से सबऑर्डिनेट यूनिटों को सामान्य यूनिटों के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया जाएगा ।

(8) सबऑर्डिनेट यूनिटों को सामान्य यूनिटों के तौर पर फिर से वर्गीकृत कर लिए जाने के बाद, उन्हें सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने तथा उनमें ट्रेडिंग किए जाने की मंजूरी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से अंतिम रूप से मिल जाने के बाद, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराया जाएगा ।"

(6) विनियम 22 में, उप-विनियम (8) में, खंड (xii) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

"(xiiक) कोई भी मौजूदा सबऑर्डिनेट यूनिटें न हों; और"

(7) विनियम 23 में, उप-विनियम (9) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

"(10) निवेश प्रबंधक सामान्य यूनिटों और सबऑर्डिनेट यूनिटों का अलग-अलग यूनिटहोल्डिंग पैटर्न बताएगा, और यह जानकारी उसी प्रकार दी जाएगी जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए ।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./140/2024-25]

<u>**पाद टिप्पण**</u> :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एलएडी/एनआरओ/ जीएन/2014-15/10/1577, 26 सितम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 तत्पश्चात्-

   क. 30 नवम्बर, 2016 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/021, द्वारा

   ख. 15 दिसम्बर, 2017 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/023, द्वारा

   ग. 10 अप्रैल, 2018 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2018 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/07, द्वारा

   घ. 22 अप्रैल, 2019 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2019 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/10, द्वारा

ङ. 2 मार्च, 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2020 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/05, द्वारा

च. 17 अप्रैल 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

छ. 16 जून, 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/15, द्वारा

ज. 30 जुलाई, 2021 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/27, द्वारा

झ. 31 अगस्त, 2021 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

ञ. 4 मई, 2022 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/83, द्वारा

ट. 1 जनवरी, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/101, द्वारा

ठ. 14 फरवरी, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023-122, द्वारा

ड. 3 जुलाई, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा

ढ. 16 अगस्त, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/145, द्वारा

ण. 20 अक्तूबर, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/159, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th May, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INFRASTRUCTURE INVESTMENT TRUSTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/182.—In exercise of the powers conferred under section 30 read with sections 11 and 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2024.

2. They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, ─

(1) in regulation 2, in sub-regulation (1), -

i. in clause (zg), the following explanation shall be inserted, namely -

"***Explanation*. –** For the purpose of calculating the number of outstanding units, any outstanding subordinate units shall not be included";

ii. after clause (zza), the following clause shall be inserted, namely –

"(zzaa) "subordinate unit" means an instrument issued by an InvIT which can be reclassified as an ordinary unit";

iii. in clause (zzd), after the words and expression ""unit"" and before the word "means", the words and expression "or "ordinary unit"" shall be inserted;

(2) in regulation 4, in sub-regulation (2),

(a) clause (h) shall be substituted with the following, namely -

"(h) subject to the provisions of Chapter IVA of these regulations, there shall be only one class of units and all units shall carry equal voting rights and distribution rights associated with such units.";

(b) after clause (h), clause (i) shall be inserted, namely –

"(i) the unitholder(s) holding not less than ten percent of the total outstanding units of the InvIT, either individually or collectively, shall -

(i) be entitled to nominate one director on the board of directors of the Investment Manager, in such manner as may be specified by the Board:

Provided that the director so nominated shall recuse from voting on any transaction where such nominee director or associate of such nominee director or the unitholder who nominated such nominee director or associate of such unitholder is a party;

(ii) comply with stewardship code specified in Schedule VIII of these regulations.";

(3) in regulation 12, after sub-regulation (3A), the following sub-regulations shall be inserted, namely –

"(4) For the purpose of calculating the minimum unitholding requirements as mentioned in sub-regulations (3) and (3A) above, subordinate units shall not be considered in computing total outstanding units of the InvIT

(5) Subordinate units shall not be eligible for meeting the minimum unitholding requirement as mentioned in sub-regulations (3) and (3A) above.";

(4) in regulation 14, after sub-regulation (5A), the following sub-regulation shall be inserted, namely –

"(5B) No InvIT shall raise funds through public issue if any subordinate units have been issued and are outstanding.";

(5) after chapter IV and before chapter V, the following chapter shall be inserted, namely–

"**CHAPTER IVA**

FRAMEWORK FOR ISSUANCE OF SUBORDINATE UNITS

Applicability.

17A. (1) The provisions contained in this Chapter shall only apply to subordinate units issued after the notification of this Chapter:

Provided that the provisions pertaining to disclosure requirements contained in this Chapter shall also apply to any subordinate units issued prior to notification of this Chapter.

(2) Subject to the provisions contained in this Chapter, the provisions of these regulations applicable to ordinary units shall apply mutatis mutandis to issuance of subordinate units.

Issuance of Subordinate Units.

17B. (1) The subordinate units shall only be issued by a privately placed InvIT upon acquisition of an infrastructure project.

(2) The subordinate units shall be issued only to the sponsor, its associates and the sponsor group and shall be deemed to be a part of the consideration for acquisition of the infrastructure project from such sponsor, its associates and the sponsor group.

(3) The subordinate units shall not carry any voting rights or distribution rights.

(4) The subordinate units shall be issued in a dematerialized form with an International Securities Identification Number, distinct from that of the ordinary units.

(5) The subordinate units shall be listed on a recognised stock exchange after their reclassification into ordinary units in accordance with the provisions contained in these regulations.

(6) The subordinate units may be issued by way of an initial offer or any offer subsequent to the initial offer, either along with the issue of ordinary units or without the issue of ordinary units.

(7) The issue of subordinate units made after the initial offer by the InvIT shall require the approval of the unitholders where votes cast in favour of the resolution shall not be less than one and a half times the votes cast against the resolution:

Provided that any unitholder who is party to the acquisition of the infrastructure project including the sponsor, its associates and sponsor group, shall not be entitled to vote.

(8) The price of subordinate units shall be determined according to the pricing guidelines applicable for issuance of ordinary units.

(9) Prior to issuance of subordinate units, the investment manager shall obtain in-principle approval from the recognised stock exchange for listing of such subordinate units after their reclassification into ordinary units.

(10) The enabling provisions authorising the issuance of subordinate units shall be specified in the Trust Deed.

(11) The investment manager shall disclose the terms and conditions governing subordinate units in the Term Sheet.

(12) The investment manager shall disclose the impact of potential reclassification of subordinate units into ordinary units in the Term Sheet in such manner as may be specified by the Board.

(13) The investment manager shall disclose the Term Sheet in the placement memorandum, the explanatory statement to the notice for unitholders meeting as well as any document which may be disclosed to investors including prospective investors.

(14) The InvIT shall also disclose the Term Sheet, the placement memorandum and the notice for unitholders meeting including the explanatory statement on its website and shall file the same with the recognised stock exchange.

(15) The amount of subordinate units issued at the time of acquisition of an infrastructure project by the InvIT shall not exceed ten percent of the acquisition price of the infrastructure project.

(16) The total number of outstanding subordinate units issued by an InvIT at any point of time shall not exceed ten percent of the total number of outstanding ordinary units issued by such InvIT:

Provided that an InvIT which has subordinate units outstanding exceeding the above limit, as on the date of notification of this chapter, such InvIT may issue additional subordinate units subject to compliance with the above limit:

Provided further that for the purpose of compliance with the above limit, all outstanding subordinate units shall be considered including the subordinate units issued prior to the date of the notification of this chapter.

(17) The terms and conditions of the subordinate units shall not be varied after their issuance, except in accordance with the provisions of this chapter.

Transfer of subordinate units.

17C. (1) The subordinate units shall be locked in till its reclassification into ordinary units

(2) The subordinate units shall not be transferable to any person except the sponsor, its associates and the sponsor group entities.

(3) The subordinate units shall not be encumbered in favor of any person except the sponsor, its associates and the sponsor group entities.

(4) The depository shall not register the transfer or encumbrance of a subordinate unit in favour of any person unless such a person is a sponsor of the InvIT, associate of such sponsor or belongs to the sponsor group of the InvIT.

(5) The investment manager shall disclose any inter-se transfer or inter-se encumbrance of subordinate units to the recognised stock exchange within one working day of such transfer or encumbrance.

(6) In case of a change in the sponsor, the outgoing sponsor shall transfer the subordinate units held by it, if any, to another sponsor, its associates or sponsor group.

Entitlement date, entitlement event and performance benchmark.

17D. (1) The entitlement date, the entitlement event and the performance benchmark for reclassification of subordinate units to ordinary units shall be clearly defined and specified in the Term Sheet.

(2) The performance benchmark for reclassification of subordinate units shall be quantifiable, objective and based on the audited financial statements.

(3) The minimum time period between the issuance of subordinate units and entitlement date for reclassification of the subordinate units to ordinary units shall be three year.

(4) The entitlement date may be extended in the manner specified in the Term Sheet, subject to the following conditions:

(a) the entitlement date shall not be extended for more than one year at a time and shall not be extended more than two times in total;

(b) the extension of the entitlement date may be done only for cases where a possibility of such extension is clearly contemplated, duly approved and disclosed in the Term Sheet prior to the issuance of subordinate units;

(c) the extension of entitlement date shall be allowed only in case of any unforeseen circumstances as mentioned in the Term Sheet such as impossibility on account of a force majeure event or illegality on account of change in law or an order of any court or authority;

(d) the explanatory statement to the notice of unitholders meeting convened for seeking approval for the extension in entitlement date shall disclose the reasons for proposing such extension and the potential impact on account of such extension on the ordinary unitholders, including any potential dilution of their beneficial interest in the InvIT; and

(e) the extension of the entitlement date shall require the approval of the unitholders as provided for in sub-regulation (7) of regulation 17B;

Progress related to achievement of performance benchmark.

17E. (1) The investment manager shall monitor the progress related to the achievement of performance benchmark and shall report such progress annually or with such frequency as may be specified by the Board, after certification by the statutory auditor of the InvIT and approval of the trustee and the audit committee of the investment manager.

(2) The investment manager shall disclose the progress related to achievement of performance benchmark in the Annual Report of the InvIT.

(3) The investment manager shall disclose the diluted NAV and the diluted distribution per unit to the stock exchange along with NAV and distribution per unit till the time subordinate units are outstanding.

***Explanation.* –** For the purpose of this sub-regulation –

(a) "diluted NAV" or "diluted net asset value" means the value of the InvIT assets reduced by the external debt divided by the total number of outstanding ordinary units and subordinate units; and

(b) "diluted distribution per unit" means the value of total distribution, divided by the total number of outstanding ordinary units and subordinate units.

Process for reclassification of subordinate unit.

17F. (1) The status of achievement of performance benchmark shall be certified by the statutory auditor of the InvIT for reclassification of subordinate units to ordinary units and shall be reviewed by the trustee and the audit committee of the investment manager.

(2) If the performance benchmark is achieved at the end of the entitlement date, including extended period, if any; the subordinate units shall be reclassified into equal number of ordinary units on a pari passu basis in accordance with the terms and conditions of subordinate units mentioned in the Term Sheet.

Explanation 1. - The reclassification can happen for all subordinate units either together or on a piecemeal basis in accordance with the terms and conditions and on the achievement of performance benchmarks as disclosed in the Term Sheet.

Explanation 2. - The subordinate units may be reclassified into ordinary units, in part or in full in accordance with the terms and conditions and on the achievement of performance benchmarks as disclosed in the Term Sheet.

(3) If the performance benchmark is not achieved at the end of the entitlement date, including extended period, if any, the subordinate units shall be extinguished without any payment to the holder of subordinate units.

(4) The board of directors of the investment manager shall consider reclassification of subordinate units into ordinary units or extinguishment of the subordinate units depending on the achievement of the performance benchmark and pass a resolution making the necessary recommendation to this effect to the trustee.

(5) The recommendation for reclassification of the subordinate units into ordinary units or extinguishment of the subordinate units, as the case may be, shall be considered by the trustee and after ensuring compliance with the provisions of these regulations, the trustee may approve reclassification of the subordinate units into ordinary units or extinguishment of the subordinate units, as the case may be, and intimate the same to the investment manager.

(6) Pursuant to the approval of the trustee, the investment manager shall make the necessary intimation to the recognised stock exchange, depositories and the Registrar and Transfer Agent.

(7) The investment manager shall ensure that the record date is disclosed as part of the intimation made under this regulation, at least two working days prior to the record date, excluding the date of intimation and the record date.

***Explanation.* –** For the purpose of this chapter, record date shall mean the date from when subordinate units shall be reclassified as ordinary units.

(8) The subordinate units upon being reclassified as ordinary units shall be listed on the recognised stock exchange(s) upon receipt of final listing and trading approval from such stock exchange(s).";

(6) in regulation 22, in sub-regulation (8), after clause (xii), the following clause shall be inserted, namely –

"(xiia) there are no outstanding subordinate units; and"; and

(7) in regulation 23, after sub-regulation (9), the following sub-regulation shall be inserted, namely –

"(10) The investment manager shall disclose the unitholding pattern for ordinary units and subordinate units separately in such manner as may be specified by the Board."

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./140/2024-25]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was published in the Gazette of India on September 26, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/10/1577.
2. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was subsequently amended by the –

   a. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2016, vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/021, with effect from November 30, 2016.

   b. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2017, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/024, with effect from December 15, 2017.

   c. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2018, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/07, with effect from April 10, 2018.

   d. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2019, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/10, with effect from April 22, 2019.

   e. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/05, with effect from March 02, 2020.

   f. Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10, with effect from April 17, 2020.

   g. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/15, with effect from June 16, 2020.

   h. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/27, with effect from July 30, 2021.

   i. Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30, with effect from August 31, 2021.

   j. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/83, with effect from May 4, 2022.

   k. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/101 with effect from January 1, 2023.

   l. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/122 with effect from February 14, 2023.

   m. Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD–NRO/GN/2023/137 with effect from July 3, 2023.

   n. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/145 with effect from August 16, 2023.

   o. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Third Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/159 with effect from October 20, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.05.27 21:54:07 +05'30'